मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०१७

दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१७

विषय सूची

खण्ड :

अध्याय—एक

१. संक्षिप्त नाम.

अध्याय—दो

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८६० का संख्यांक ४५ का संशोधन.

३. धारा ३५४ क का लोप.

४. धारा ३५४ ख का संशोधन.

५. धारा ३५४ घ का संशोधन.

६. धारा ३७६कक का अंत:स्थापन.

७. धारा ३७६घक का अंत:स्थापन.

८. धारा ४९३ क का अंत:स्थापन.

अध्याय—तीन

९. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, क्रमांक १९७४ का संख्यांक २ का संशोधन.

१०. धारा २९ का संशोधन.

११. धारा ११० का संशोधन.

१२. धारा १९८ का संशोधन.

१३. धारा ४३७ का संशोधन.

१४. प्रथम अनुसूची का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०१७

दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय—एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

अध्याय—दो

भारतीय दण्ड संहिता का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८६० का ४५ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, भारतीय दण्ड संहिता, (१८६० का ४५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा ३५४क का लोप.

३. भारतीय दण्ड संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २००४ (क्रमांक १४ सन् २००४) द्वारा यथा अंत: स्थापित मूल अधिनियम की धारा ३५४क का लोप किया जाए.

धारा ३५४ख का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३५४ख में, शब्द "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा", के स्थान पर शब्द "वह प्रथम बार दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर कठोर करावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, से दण्डित किया जाएगा" स्थापित किए जाएं.

धारा ३५४घ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ३५४घ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(२)जो कोई भी पीछा करने का अपराध कारित करता है वह प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, से दण्डित किया जाएगा:

परन्तु न्यायालय, निर्णय में पर्याप्त तथा विशेष कारणों को उल्लिखित करते हुए, विनिर्दिष्ट न्यूनतम कारावास से कम कालावधि के कारावास का कोई दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा.".

धारा ३७६कक का अंत:स्थापन.

६. मूल अधिनियम की धारा ३७६क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

बारह वर्ष आयु तक की स्त्री के साथ बलात्संग के लिए दण्ड.

''३७६कक. जो कोई, बारह वर्ष तक की आयु की किसी स्त्री के साथ बलात्संग करता है तो वह मृत्युदण्ड से या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा.''.

धारा ३७६घक का अंत:स्थापन.

७. मूल अधिनियम की धारा ३७६घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

बारह वर्ष तक की आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग के लिए दण्ड.

''३७६घक. जहां बारह वर्ष तक की आयु की किसी स्त्री के साथ एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह मृत्युदण्ड से अथवा कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा.''.

धारा ४९३क का अंत:स्थापन.

८. मूल अधिनियम की धारा ४९३ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचनापूर्वक विश्वास दिलाते हुए किसी व्यक्ति द्वारा कारित सहवास अथवा मैथुन.

''४९३क. प्रत्येक व्यक्ति, जो प्रवंचना द्वारा किसी स्त्री को यह विश्वास दिलाता है कि वह उससे विवाह करेगा और इस प्रकार उस स्त्री के साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा.''.

अध्याय—तीन

दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, क्रमांक १९७४ का संख्यांक २ का संशोधन.

९. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का संख्यांक २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा २९ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा २९ में,—

(एक) उपधारा (२) में, शब्द ''दस हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''एक लाख रुपए'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (३) में, शब्द ''पांच हजार रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''पच्चीस हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

धारा ११० का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ११० में, खण्ड (घ) में, शब्द, अंक और कोष्ठक ''भारतीय दण्ड संहिता (१८६० का ४५) के अध्याय बारह के अधीन'' के स्थान पर, ''शब्द, अंक और कोष्ठक'' भारतीय दण्ड संहिता (१८६० का ४५) के अध्याय बारह के अधीन या इस संहिता की धारा ३५४, धारा ३५४क, धारा ३५४ख, धारा ३५४घ या धारा ५०९ के अधीन'' स्थापित किए जाएं.

धारा १९८ का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा १९८ में, उपधारा (१) में, विद्यमान परन्तुक में, खण्ड (ग) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि भारतीय दण्ड संहिता (१८६० का ४५) की धारा ४९३ या धारा ४९३क के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर भी लिया जा सकेगा.".

धारा ४३७ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा ४३७ में, उपधारा (१) में, चतुर्थ परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु यह और भी कि कोई भी व्यक्ति, यदि उसके द्वारा स्त्री के विरुद्ध अपराध कारित किया जाना अभिकथित किया गया है, जो कम से कम सात वर्ष के कारावास से दण्डनीय है, इस धारा के अधीन लोक अभियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा.".

प्रथम अनुसूची का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, शीर्षक "१—भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध के अधीन",—

(एक) दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २००४ (क्रमांक १५ सन् २००४) द्वारा यथा अंत:स्थापित धारा ३५४क से संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(दो) धारा ३५४ख तथा धारा ३५४घ से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

धारा	अपराध	दण्ड	संज्ञेय अथवा असंज्ञेय	जमानतीय अथवा अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
"३५४ख.	विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग.	प्रथम दोषसिद्धि पर कम से कम ३ वर्ष का कारावास किन्तु जो ७ वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना.	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
		द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर कम से कम ७ वर्ष का कठोर कारावास किन्तु जो १० वर्ष तक का हो सकेगा और न्यूनतम १ लाख रुपए का जुर्माना.	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
३५४घ.	पीछा करना	प्रथम दोषसिद्धि पर ३ वर्ष तक का कारावास हो सकेगा और जुर्माना.	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट"
		द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर कम से कम ३ वर्ष का कारावास किन्तु जो ७ वर्ष तक का हो सकेगा और न्यूनतम १ लाख रुपए जुर्माना.	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट";

(तीन) धारा ३७६क से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
"३७६कक.	१२ वर्ष तक की आयु की स्त्री के साथ बलात्संग का अपराध करने वाला व्यक्ति.	मृत्युदंड, कम से कम १४ वर्ष का कठोर कारावास, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना.	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय";

(चार) धारा ३७६घ से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
"३७६घक.	१२ वर्ष तक की आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग.	मृत्युदंड, कम से कम २० वर्ष का कठोर कारावास, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना.	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय";

(पांच) धारा ४९३ से संबंधित प्रविष्टियों में, कॉलम ४ में, शब्द "असंज्ञेय" के स्थान पर, शब्द "संज्ञेय" स्थापित किया जाए;

(छ:) धारा ४९३ से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
"४९३क.	विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचनापूर्वक विश्वास दिलाते हुए किसी व्यक्ति द्वारा कारित सहवास अथवा मैथुन.	कारावास जो ३ वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना.	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि स्त्रियों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न, हमले अथवा आपराधिक बल के प्रयोग के अपराध दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं. बलात्संग और सामूहिक बलात्संग के अपराध बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं. पिछले तीन वर्षों के दौरान छेड़छाड़ के पश्चात् स्त्रियों की आत्महत्या के बहुत से प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं. बारह वर्ष या उससे कम वर्ष की स्त्रियों का यौन शोषण और दुरुपयोग जघन्य अपराध है और इनसे प्रभावी ढंग से निपटने की आवश्यकता है.

२. स्त्रियों के विरुद्ध अपराध के संभावित अपराधियों को डराकर रोकने और भारत के संविधान में यथाप्रतिष्ठापित स्त्री की पूर्ण स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान उपबंधों में दंड और जुर्माने को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है.

३. अतएव, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय दंड संहिता (१८६० का ४५)को यथोचित रूप से संशोधित करने का विनिश्चिय किया है.

४. दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) के उपबंधों के क्रियान्वयन में भी कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां अनुभूत की गई हैं. उपरोक्त को देखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना आवश्यक समझा गया है.

५. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :—

(१) धारा २९ में विनिर्दिष्ट दंड की मात्रा में वृद्धि की गई है.

(२) धारा ४३७ में यह प्रस्तावित है कि भले ही स्त्री के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध ७ से अनिम्न वर्षों से दंडनीय है, लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा.

(३) भारतीय दंड संहिता (१८६० का ४५) की कतिपय धाराओं को संशोधित किया जाना प्रस्तावित किया गया है, अतएव, दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में परिणामिक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं.

६. अतएव, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ को यथोचित रूप से संशोधित करने का विनिश्चिय किया है.

७. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २७ नवम्बर, २०१७

रामपाल सिंह
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

भारतीय दण्ड संहिता (१८६० का ४५) से उद्धरण

* * * *

३५४क. स्त्री को वस्त्रहीन करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग.—जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि तद द्वारा वह स्त्री की लज्जा भंग करेगा उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या स्त्री को निर्वस्त्र करके लज्जा भंग करायेगा या किसी सार्वजनिक स्थान पर उसे नंगी होने के लिए विवश करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो १० वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा.

३५४ख विवस्त्र के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग.—ऐसा कोई पुरुष, जो किसी स्त्री को किसी सार्वजनिक स्थान पर विवसत्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा.

* * * *

३५४घ(२) जो कोई पीछा करने का अपराध करता है, वह प्रथम दोषसिद्धि पर किसी भांति के कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने का भी दायी होगा तथा दूसरी अथवा पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर किसी भांति के कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने का भी दायी होगा.

धारा ३७६ (क), पृथक रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ सम्भोग करने की दशा में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा.

* * * *

दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (क्रमांक २ सन् १९७४) से उद्धरण

* * * *

२९(२) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या दस हजार रुपये से अनधिक जुर्माने का, या दोनों का, दण्डादेश दे सकता है.

२९(३) द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या पांच हजार रुपए से अनधिक जुर्माने का, या दोनों का, दण्डादेश दे सकता है.

* * * *

११० आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति—जब किसी कार्यपालन मजिस्ट्रेट को यह इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो —

(क) अभ्यस्यत: लुटेरा, गृहभेदक, चोर या कूटरचयिता है, अथवा

(ख) चुराई हुई संपत्ति का, उसे चुराई हुई जानते हुए, आभ्यासत: प्रापक है, अथवा

(ग) अभ्यासत: चोरों की संरक्षा करता है या चोरों को संश्रय देता है या चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसके व्ययन में सहायता देता है, अथवा

(घ) व्यपहरण, अपहरण, उद्यापन, छल या रिष्टि का अपराध या भारतीय दण्ड संहिता १८६० (१८६० का ४५) के अध्याय १२ के अधीन या उस संहिता की धारा ४८९क, ४८९ख, ४८९ग, या ४८९घ के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभ्यासत: करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, अथवा

(ङ) ऐसे अपराध अभ्यासत: करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, जिनमें परिशांति भंग समाहित हैं, अथवा

(च) कोई ऐसा अपराध अभ्यासत: करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, जो—

(i) निम्नलिखित अधिनियम में से एक या अधिक के अधीन कोई अपराध है, अर्थात्—

(क) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९४० (१९४० का २३),

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९७३ (१९७३ का ४६)

(ग) कर्मचारी भविष्य-निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, १९५२ (१९५२ का १९)

(घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ (१९५४ का ३७)

(ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १०)

(च) अस्पृश्यता (अपराध), अधिनियम, १९५५ (१९५५ का २२)

(छ) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ (१९६२ का ५२)

(ज) विदेशियों विषयक अधिनियम, १९४६ (१९४६ का ३१)

(ii) जमाखोरी या मुनाफाखोरी अथवा खाद्य या औषधि के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय कोई अपराध है, या

(छ) ऐसा दु:साहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वछंद रहना समाज के लिए परिसंकटमय है,

तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि तीन वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझता है, उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभुओं सहित बन्धपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए.

* * * *

१९८. विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन—

(१) कोई न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) के अध्याय २० के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवार पर ही करेगा, अन्यथा नहीं :

परन्तु—

(क) जहां ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का है अथवा जड़ या पागल है अथवा रोग या अंगशैथिल्य के कारण परिवाद करने के लिए असमर्थ है, या ऐसी स्त्री है जो स्थानीय रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, वहां उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकता है :

(ख) जहां ऐसा व्यक्ति पति है, और संघ के सशस्त्र बलों में से किसी में से ऐसी परिस्थितियों में सेवा कर रहा है जिनके बारे में उसके कमान आफिसर ने यह प्रमाणित किया है कि उनके कारण उसे परिवाद कर सकने के लिए अनुपस्थित छुट्टी प्राप्त नहीं हो सकती, वहां उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार पति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से परिवाद कर सकता है;

(ग) जहां भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा ४९४ या धारा ४९५ के अधीन दण्डनीय अपराध से व्यथित व्यक्ति पत्नी है वहां उसकी ओर से उसके पिता, माता, भाई, बहिन, पुत्र या पुत्री या उसके पिता या माता के भाई या बहिन द्वारा या न्यायालय की इजाजत से, किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जो उससे रक्त, विवाह या दत्तक द्वारा संबंधित है परिवाद किया जा सकता है.

*　　*　　*　　*

४३७. अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी—जब कोई व्यक्ति, जिस पर अजमानती अपराध का अभियोग है या जिस पर यह संदेह है कि उसने गैरजमानती अपराध किया है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या उच्च न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब है जमानत पर छोड़ा जा सकता है, किंतु—

(i) यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दोषी है तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा :

(ii) यदि ऐसा अपराध कोई संज्ञेय अपराध है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किया गया है, या वह तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए किंतु सात वर्ष से अनाधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी संज्ञेय अपराध के लिए दो या अधिक अवसरों पर पहले दोषसिद्द किया गया है तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा :

परन्तु न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि खण्ड (i) या खण्ड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए, यदि ऐसा व्यक्ति सोलह वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री या कोई रोगी या शिथिलांग व्यक्ति है :ॅ

परन्तु यह और कि न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि खण्ड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी अन्य विशेष कारण से ऐसा करना न्यायोचित तथा ठीक है :

परन्तु यह और भी कि केवल यह बात कि अभियुक्त की आवश्यकता, अन्वेषण में साक्षियों द्वारा पहचाने जाने के लिए हो सकती है, जमानत स्वीकृत करने से इंकार करने के लिये पर्याप्त आधार नहीं होगी, यदि वह अन्था जमानत पर छोड़ दिए जाने के लिए हकदार हैं और वह वचन देता है कि वह ऐसे निर्देशों का,जो न्यायालय द्वारा दिए जाएं, अनुपालन करेगा.

परन्तु यह और भी कि किसी भी व्यक्ति को, यदि उस द्वारा किया गया अभिकथित अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष अथवा उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय है तो लोक अभियोजक को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना इस उपधारा के अधीन न्यायालय जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा.

*　　*　　*　　*

प्रथम अनुसूची

अपराधों का वर्गीकरण

भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध

धारा	अपराध	दण्ड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
३५४-क	स्त्री को वस्त्रहीन करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग.	एक वर्ष से अन्यून कारावास किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना.	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
३५४-ख	विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	कम से कम पांच वर्ष का कारावास, किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई भी मजिस्ट्रेट.
३५४घ	पीछा करना	प्रथम दोषसिद्धि के लिए तीन वर्ष तक का कारावास और जुर्माना द्वितीय और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए पांच वर्ष तक का कारावास और जुर्माना	यथोक्त यथोक्त	जमानतीय जमानतीय	यथोक्त यथोक्त
४९३	पुरुष द्वारा स्त्री को, जो उससे विधिपूर्वक विवाहित नहीं है, प्रवंचना से विश्वास कारित करके कि वह उससे विधिपूर्वक विवाहित है, उस विश्वास में उससे सहवास करना.	दष वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.